bunal should be accepted wholeheartedly by the two parties and Government should see that all parties behave towards these findings of the Tribunal in a disciplined and patriotic manner as if they are a part and parcel of our defence forces.

Shri Sanjiva Reddy: I agree with the hon. Member. We will examine what rules are to be amended.

Shri N. C. Chatterjee: I wanted to put one question. I was asked to wait.

Mr. Deputy-Speaker: You are not a signatory to it.

Dr. L. M. Singhvi: He was asked to wait. Several other non-signatories have also been permitted and he was almost called.

Shri N. C. Chatterjee: My question is very short. If they persist in this attitude of obduracy and unreasonableness, may I know how long it will take to make alternative arrangements effectively?

Shri Sanjiva Reddy: The hon. Member was not here perhaps when I answered the question. While flying on land, pilots could fly without navigators wherever Radio navigational aids are available. Up to 600 miles they could fly over land. Therefore the Air-India could have flown to Moscow, London etc. But unfortunately the pilots again sympathised with the navigators and said that they would not fly without navigators. It is only a few hours since they are grounded. We will try to make alternative arrangements as quickly as possible.

16.36 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(*Omission of Articles* 152, 370 *etc.*) by Shri Prakash Vir Shastri

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष जी, भारतीय संविधान के अस्थायी उपबन्ध जम्मू तथा काश्मीर से सम्बन्धित धारा 370 को संविधान से समाप्त करके जम्मू-काश्मीर राज्य को भी भारत के अन्य राज्यों की समान स्थिति में लाया जाए, इस सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक को मैं प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष जी, आज से अठारह महीने पहले भी मैंने यह विधेयक यहां उपस्थित किया था । मुझे प्रसन्नता है कि उस समय संसद् का सर्वसम्मत समर्थन इस विधेयक को मिला था । मैं नहीं कह सकता हूं कि अब उसकी स्थिति क्या होगी । परन्तु मुझे यह विश्वास है कि प्रत्येक राष्ट्रभक्त व्यक्ति जो इस देश की अखण्डता और एकता में विश्वास रखता है, निश्चय ही इस संशोधन विधेयक का समर्थन करेगा ।

16.37 hrs.

(Shri Sham Lal Saraf in the Chair)

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है गृह मन्त्री श्री नन्दा ने उस समय इस विधेयक का उत्तर देते हुए कहा था कि जम्मू-काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है । इस के सम्बन्ध में कई नई धारायें जहां उन्होंने लागू करने की घोषणा की थी वहां यह भी कहा था कि इस धारा को हटाने के लिए भी जब उपयुक्त समय आएगा वह निश्चय ही इसको हटा देंगे । मैं नहीं समझता हूं कि गृह मन्त्रालय की निगाह में अभी वह उपयुक्त समय आया है अथवा अभी कितने और वर्षों के बाद वह उपयुक्त समय आयेगा ? परन्तु इस विधेयक को उपस्थित करते समय मैं पहले यह जरूर बता देना चाहता हूं कि ऐसी कौनसी स्थिति आई जिससे विवश हो कर अठारह महीने के बाद दुबारा मुझे फिर इस विधेयक को सदन में उपस्थित करना पड़ रहा है । पिछले साल अगस्त-सितम्बर में पाकिस्तान के साथ जब हमारा संघर्ष हुआ उस समय से काश्मीर की स्थिति अद्भुत बदल गई है । हम जिसे युद्ध विराम रेखा मान कर संयुक्त राष्ट्र संघ से

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

यह आशा लगाये बैठे हैं कि वह अपने पुराने निर्णय के अनुसार जो कि 13 अगस्त 1948 का था, निष्पक्ष निर्णय देगा। पर वह न हुआ। पाकिस्तान ने हमारी सीमा लांघ कर सशस्त्र पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा घुसपैठियों के रूप में काश्मीर पर आक्रमण किया और छम्ब और अखनूर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करके भारत पर हमला बोल दिया।

जहां तक ताशकन्द समझौते का सम्बन्ध है, पाकिस्तान की निगाह में उसका भी कोई विशेष मूल्य नहीं है।

राष्ट्रपति श्री अयूब ने ताशकन्द से लौटने के कुछ ही दिन बाद ईद के मौके पर अपने एक भाषण में जो कि पास्किस्तान रेडियो से प्रसारित किया गया था कहा कि काश्मीर के लोग आत्म निर्णय के अपने संघर्ष को जारी रखें और पाकिस्तान जिस तरह से अब तक उनका समर्थन करता चला आया है, बराबर उसी तरह से आगे समर्थन करता रहेगा। इसी तरह जब ताशकन्द समझौते के अन्तर्गत हाजीपीर, उड़ी, पुंछ आदि क्षत्रों से हमने अपनी सेनाओं को हटाने का निर्णय किया तब अभी हमारी सेनायें हटी भी नहीं थीं कि पाकिस्तान के विधि मंत्री ने लाहौर के अन्दर एक वक्तव्य दिया था कि यदि यह भाग भारत का अपना होता तो यह कैसी उपहास की बात है कि भारत सरकार अपनी धरती से स्वयं अपनी सेनाओं को वापिस हटा लेती। जहां तक पाकिस्तान के विदेश मंत्री का सम्बन्ध है बहुत पुरानी नहीं अभी दो दिन पहले 16 मार्च की बात है, जब वह ढाका में पाकिस्तान एसेम्बली में अपना वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने यह कहा कि भारत के साथ हमारा जब तक काश्मीर का विवाद चल रहा है, तब तक कोई नो-वार पक्ट, "संघर्ष नहीं", इस प्रकार का समझौता नहीं हो सकता है। पाकिस्तान के राजदूत जो विदेशों में हैं उनके कहने के ढंग में भी बराबर परिवर्तन अब आ गया है। इसी प्रकार रावलपिंडी में अभी जब भारत और पाकिस्तान के मंत्रियों की कान्फ्रेंस हुई थी उसमें भी आपने देखा कि हमारे विदेश मंत्री ने पहले यह कहा था कि जितनी आशा लेकर हम यहां से गये थे उस प्रकार का परिणाम उस कान्फ्रेंस का नहीं निकला है। सच्चाई यह है कि ताशकन्द समझौते की आड़ में पाकिस्तान इस संघर्ष में जो उसकी कमर टेढ़ी पड़ गई थी, उसको सीधी करने के लिये समय चाहता था, और अब धीरे-धीरे वह अपने विचारों को प्रकट भी करता चला जा रहा है।

जहां तक ताशकन्द समझौते के सम्बन्ध में रूस के अपने प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है कि उसने अपने देश में बुला कर शान्ति के लिये भारत और पाकिस्तान की बातचीत करवाई, इसके लिये हम उसके आभारी हैं। लेकिन अन्तिम क्षणों में जिस प्रकार से इस ताशकन्द समझौते में नाटकीय परिवर्तन हुआ उसकी पृष्ठभूमि को भी हमको आंखों से ओझल नहीं करना चाहिये। एक बात आज हमें अपने मस्तिष्क में बड़ी दृढ़ता के साथ बना लेनी चाहिये कि रूस आज वह रूस नहीं है जिसका भाग्य विधाता किसी समय ख्रुश्चेव था। आज रूस की काश्मीर नीति में, भले ही उनका कहना हो या हमारे मास्को स्थित राजदूत का कहना हो कि, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन आज का रूस वह रूस है जिसने सुरक्षा परिषद् में इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि भारतीय सेनायें 5 अगस्त की लाइन पर लौट कर चली जायें। आज का रूस वह रूस है जो ताशकन्द में भारत के प्रधान मंत्री की घोषणा करने के बाद भी पाकिस्तान के साथ भारतीय प्रतिनिधि मण्डल को काश्मीर के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये विवश कर सकता है। और इसके अतिरिक्त भारत व का

साम्यवादी पार्टी के समर्थक या उनके कुछ सदस्य हैं, उनकी भावनाओं और उनके वक्तव्यों में भी ऐसी ध्वनि झलकती है। अभी कुछ दिन पहले राज्य सभा में श्री भूपेश गुप्त ने एक वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो युद्धविराम रेखा है उसे अन्तर्राष्ट्रीय रेखा मान लिया जाय। इन सभी बातों से हवा का रुख धीरे धीरे किस ओर जा रहा है इसके प्रति भारत सरकार और देश की आंखें खुल जानी चाहियें।

दुर्भाग्य से जब यह बातें मैं कह रहा हूं उस समय काश्मीर की बागडोर श्री गुलाम मोहम्मद सादिक के हाथ में है। श्री सादिक के पुराने जीवन से सम्बन्धित किन्हीं विशेष घटनाओं की चर्चा मैं नहीं करूंगा। लेकिन कुछ वर्तमान घटनाओं की चर्चा किये बिना भी नहीं रह सकूंगा। आजकल जम्मू और काश्मीर राज्य में किस प्रकार कम्यूनिस्टों की चढ़ बनी है इस सच्चाई को भी हम आंख से ओझल नहीं कर सकते, किस तरह से आज साम्यवाद समर्थक व्यक्तियों को ढूंढ ढूंढ कर वहां संरक्षण दिया जा रहा है, इस को ही देखिये। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तानी हमले के बाद साम्यवादी दल के दो प्रमुख व्यक्ति डा० जेड० ए० अहमद और श्री पी० सी० जोशी श्रीनगर में जाकर सरकारी गाड़ियों में बराबर घूमते रहे। इन तमाम बातों के पीछे क्या रहस्य है, इन तमाम बातों को अपने मस्तिष्क में रख कर ही अगला निर्णय हमें लेना चाहिये। यह स्थिति तब हो रही है जब जम्मू और काश्मीर में जो राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं उन्हें डी० आई० आर० में जेलों में बन्द किया जाता है। आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि जम्मू और काश्मीर यूथ कांग्रेस के प्रेजिडेंट भीमसेन को इस बात के लिये डी० आई० आर० में गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने जम्मू और काश्मीर सरकार से यह कहा था कि छोटे बच्चों की पुस्तकों में जो इस किस्म के पाठ रखे गये हैं जिसमें चीनी नेताओं के वर्णन आते हैं, उनको हटा दिया जाये या उन पुस्तकों को मार्केट से वापस ले लिया जाए। अगर सरकार नहीं वापस लेती है तो उनको विवश हो कर उन किताबों की होली जलानी पड़ेगी। यूथ कांग्रेस के प्रेजिडेंट की राष्ट्र विरोधी पुस्तकों के प्रचलन के सम्बन्ध में इस प्रकार की घोषणा का परिणाम यह हुआ कि सादिक सरकार ने उन्हें डी० आई० आर० में गिरफ्तार किया और जेल की चहारदीवारी के अन्दर बन्द कर दिया। यह स्थिति आज वहां हो रही है।

दूसरी चीज यह कि आज इस विधेयक को इस सदन में उपस्थित करने की आवश्यकता इसलिये भी पड़ी कि केन्द्रीय नेताओं के वक्तव्यों में परस्पर विरोध दिखाई देता है। ताशकन्द जाने से पहले हमारे नेता बड़ी दृढ़ता के साथ कहते थे कि ताशकन्द में काश्मीर पर किसी प्रकार की बातचीत नहीं की जा सकती। लेकिन ताशकन्द समझौता जो हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा है कि काश्मीर पर भी दोनों देशों के प्रतिनिधिमण्डलों की बातचीत हुई। रावलपिंडी में जब दोनों देशों के मंत्रियों की बैठक होने वाली थी उससे पहले पाकिस्तान ने रावलपिंडी कांफ्रेंस के लिये जो अजेन्डा भेजा था उसमें पहले नम्बर पर काश्मीर का विषय था। भारत सरकार ने उस अजेन्डे को स्वीकार नहीं किया केवल इसलिये कि काश्मीर का विषय सब से पहले नम्बर पर था। लेकिन वहां जाने के बाद काश्मीर पर बातचीत हुई। वहां से आकर विदेश मंत्री ने 4 मार्च, 1966 को इस सदन में काश्मीर के सम्बन्ध में यह कहा कि :

> "कोई बात भी एक देश उठाना चाहे तो उस पर बात करने में हमें कोई इन्कार नहीं है। इस बात को मैं साफ कर देना चाहता हूं ताकि इस बात के मुताल्लिक कोई शंका न रहे।"

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

इस से लगता है कि भारत सरकार का मन भी अब धीरे धीरे काश्मीर के सम्बन्ध में हिल रहा है। इसी मंत्रि परिषद् के एक वरिष्ठ सदस्य श्री जगजीवन राम ने आगरे में इस बात का समर्थन किया कि युद्ध विराम रेखा को अन्तर्राष्ट्रीय रेखा मान कर काश्मीर विवाद को समाप्त किया जाय।

यहीं तक नहीं, काश्मीर राज्य के वर्तमान राज्यपाल, जो पहले सदरे रियासत कहलाते थे, डा० करण सिंह ने किसी स्थान पर सुनते हैं कि यह सुझाव दिया है कि जम्मू-काश्मीर राज्य का वह भाग जो लद्दाख और जम्मू का है उसको हिमाचल के साथ मिला कर विशाल हिमाचल बना दिया जाये और काश्मीर को अलग कर दिया जाये। अगर मेरी जानकारी में कुछ भी सच्चाई है तो डा० करण सिंह के वक्तव्य का क्या मतलब है। मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि क्या इस प्रकार के वक्तव्य देकर पाकिस्तान की भावनाओं का समर्थन नहीं कर रहे हैं। या पाकिस्तान के केस को और मजबूत नहीं कर रहे हैं। इससे अगर देश के मन में किसी प्रकार का सन्देह उत्पन्न होता है तो आप बतलाइये कि क्या इस प्रकार के संशोधन विधेयक को संसद में लाने की आवश्यकता नहीं थी ?

अभी कुछ दिन पहले संरक्षण मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण ने कहा था कि हमने यह निश्चय किया है कि जम्मू और काश्मीर में सन् 1948 के अन्दर जितनी सेनायें थीं उतनी तक कमी उन की संख्या में कर दी जायेगी। लेकिन संरक्षण मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण इस बात को भूल गये कहते समय कि हमने यह निश्चय तब किया था, जिस समय लार्ड माउंटबेटन की सलाह मान कर संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने केस को लेकर हम गये। उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक आयोग की नियुक्ति की थी जनवरी, 1948 में, जिसको यह काम सौंपा गया था कि युद्धबन्दी कराये। काश्मीर समस्या को हल करने का अधिकार भी उस आयोग को दिया गया था। उसके तीन सदस्य थे, जेकोस्लोवाकिया, ब्राजिल और अमरीका। आगे चल कर उस आयोग में दो और राष्ट्र और सदस्य हुए : एक बेल्जियम और दूसरा लीबिया। उस आयोग ने भारत और पाकिस्तान में भ्रमण करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी। उस समय जो स्थिति थी उसको मैं सुरक्षा परिषद् के ही शब्दों में ही पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

> "काश्मीर सीमा पर युद्ध विराम कर दिया जाये और दोनों ओर की सेनायें वह लड़ाई बन्द करें।"

आप जरा इन शब्दों की ओर ध्यान दें कि आयोग की सिफारिश थी काश्मीर की सीमा पर, काश्मीर के अन्दर नहीं। काश्मीर सीमा पर युद्ध विराम की सिफारिश आयोग ने की थी। दूसरी थी —

> "काश्मीर से पाकिस्तान की फौजें तुरन्त वापिस चली जायें, कोई पाकिस्तान की फौज का सिपाही काश्मीर में न रहे।"

जब ये दोनों स्थितियां हों जायें तब तीसरी सिफारिश ये थी कि :

> "जब पाकिस्तान की सेनायें हट जायें तब भारत अपनी सैनिक शक्ति में कमी करे और पाकिस्तान के साथ विचार विनिमय करके जनमत के बारे में कोई प्रणाली तय करे।"

यानी पाकिस्तानी सेनाओं के हटने के बाद सेना में कमी करने का निश्चय था। जब पाकिस्तानी फौजें न रहें वहां पर तब युद्धबन्दी काश्मीर की सीमा पर हो। लेकिन

दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हम सेना को हटाने का निर्णय तब कर रहे हैं जब पाकिस्तान की ओर से तीन में से किसी एक शर्त का भी पालन नहीं किया गया ।

यहां एक बात और जानने की है कि इस संविधान की धारा 370 के सम्बन्ध में, जब से संविधान में यह धारा आई है, प्रारम्भ से अब तक सरकार और उसके प्रतिनिधि बराबर भरोसा देते रहे । संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य श्री गोपालस्वामी आय्यंगार जब संविधान की इस धारा को रख रहे थे तब उन्होंने कहा हम सब जानते हैं कि जम्मू और काश्मीर में तनाव की स्थिति है, पाकिस्तानी फौजें लौट कर नहीं गई हैं इसलिये अस्थायी उपबन्ध के रूप में इस धारा को रखा जाता है । लेकिन संविधान में इस धारा के रहने के बावजूद जम्मू और काश्मीर का राज्य भारत का अभिन्न अंग है इसकी पुष्टि हमारे देश की जनता ने ही नहीं, जम्मू और काश्मीर की जनता ने भी की । इसका प्रमाण है जम्मू और काश्मीर का संविधान । जम्मू और काश्मीर के संविधान की धारा 3 और धारा 5 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जम्मू और काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा । उसमें यह शब्द साफ हैं कि भारत का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा ।

इसके साथ साथ जम्मू और काश्मीर के संविधान में एक धारा 147 भी है । उस धारा 147 में जम्मू और काश्मीर का संविधान स्पष्ट कहता है कि जम्मू और काश्मीर का विधान मण्डल अगर कभी किसी प्रकार का परिवर्तन पुरानी संवैधानिक धाराओं में करे तो उस विधान मण्डल को कभी भी यह अधिकार नहीं होगा कि जम्मू और काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में, जो संविधान की धारा 3 और धारा 5 के अनुसार भारत का अभिन्न अंग बन चुका है, किसी प्रकार का परिवर्तन वह कर सके ।

एक बार भूतपूर्व गृह मंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पन्त काश्मीर गये । श्रीनगर में जाकर बड़ी स्पष्ट भाषा में उन्होंने कहा कि जम्मू और काश्मीर का अध्याय आज आखिरी रूप में बन्द कर दिया जा रहा है । अब दुनिया के अन्दर कोई भी आदमी इसको नहीं खोल सकता । श्री जवाहरलाल नेहरू ने बार बार इस बात को कहा जब उनसे कहा गया कि संविधान की धारा 370 को हटाया जाय, इस सदन में और श्रीनगर में भी उन्होंने कहा कि यह धारा काफी घिस चुकी है । जो थोड़ी बहुत रह गई है वह भी घिसते घिसते घिस जायेगी । यहां सब सदस्य यहां इस बात की साक्षी करेंगे कि श्री गुलजारी लाल नन्दा ने 4 सितम्बर को इसी विधेयक के उत्तर में कहा था कि हम कानून के विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं और राय लेकर जल्दी यह निर्णय करेंगे कि इस धारा को कब और कैसे हटाया जाये ।

इसके अतिरिक्त मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि संविधान की धारा 370 को इसलिये भी संविधान में नहीं रहना चाहिये कि अगर शरीर का कोई हिस्सा गल जाये या सड़ जाये, फिर भी अगर वह शरीर के अन्दर बना रहता है तो वह सारे शरीर में विष पैदा कर देगा । संविधान की इस धारा के कई भाग सड़ चुके हैं । संविधान की इस धारा के अन्दर काश्मीर के महाराजा की चर्चा है जब कि काश्मीर के अन्दर आज कोई महाराजा नहीं है । संविधान की इस धारा में महाराजा द्वारा गठित सरकार की गठित सरकार है जब कि आज जम्मू और काश्मीर की सरकार जनता द्वारा गठित सरकार है, महाराजा के द्वारा गठित सरकार नहीं है । तीसरे जम्मू काश्मीर रियासत की चर्चा है जब कि जम्मू काश्मीर के अन्दर कोई स्टेट नहीं है इस दृष्टि से भी संविधान की यह धारा सड़ चुकी है और इस सड़ी गली धारा को संविधान में रखना संविधान की

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

पवित्रता और संविधान की निष्ठा के ऊपर आघात पहुंचाना है । पिछली बार श्री नन्दा ने एक और घोषणा की थी। उन्होंने संविधान की धारा 370 को तो समाप्त करने का आश्वासन नहीं दिया लेकिन यह कहा कि हम कई प्रमुख धारायें काश्मीर के अन्दर नये सिरे से लागू करने जा रहे हैं । उसमें उन्होंने एक धारा यह भी बताई कि हम राष्ट्रपति के शासन की व्यवस्था भी जम्मू और काश्मीर के अन्दर कर रहे हैं । मैं श्री हाथी से पूछना चाहता हूं कि जब से श्री नन्दा ने यह घोषणा की थी और आज जब कि मैं इस विधेयक को उपस्थित कर रहा हूं, इस बीच क्या कोई एक भी प्रसंग इस प्रकार का नहीं आया जब जम्मू और काश्मीर में राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता पड़ सकती थी ? अगर नहीं आया तो मेरा प्रश्न है कि यह जो घुसपैठिये, हजारों की संख्या में जम्मू काश्मीर में घुस आये, यह किसकी असावधानी से घुस कर के आये ? यही एक बहुत बड़ा कारण था जो जम्मू काश्मीर राज्य सरकार की असफलता को प्रकट करता था । श्रीनगर के अन्दर सभापति जी, आपको स्वयं पता होगा जिस समय बटमालू का मोहल्ला जल रहा था, कैंटूनमेंट के पास गोलियां चल रही थीं, श्रीनगर का कोई भी मुहल्ला ऐसा नहीं था कि जहां रात को सनसनाती हुई गोलियां नहीं आती थीं । जब पूरी तरह श्रीनगर की सरकार असफल हो चुकी थी क्या तब भी राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता वहां नहीं थी ? और यह स्थिति कब है ? जब कि जम्मू काश्मीर के अन्दर पुलिस और सी० आई० डी० पर बेतहाशा रुपया व्यय किया जा रहा है ? मैं कुछ आंकड़े आपको देता हूं । पुलिस पर 1962–63 में 1 करोड़ 4 लाख 30 हजार रुपया खर्च किया जाता था । लेकिन पिछले साल 1 करोड़ 90 लाख और इस साल के बजट में रखा गया है 2 करोड़ 17 लाख । जब कि बजट बढ़ कर दुगुना हो रहा है तो वह पुलिस की गतिशीलता कहां है ? कहां है वह विभाग जो बाहर से आने वाले घुसपैंठियों को नहीं रोक सका ? यह ही स्थिति सी० आई० डी० विभाग के सम्बन्ध में है । 1962–63 में जिस गुप्तचर विभाग पर 8 लाख रुपया खर्च करते थे पिछले साल उस पर 18 लाख किया और इस साल के बजट में 27 लाख रुपया उस के लिए रखा है । लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जम्मू काश्मीर राज्य की आन्तरिक सुरक्षा का जहां तक सवाल है, उसमें दोनों बेकार रहे यह सब घुसपैंठियों के आने से ही बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है । मुझे दुःख है कि अब तक भारत सरकार इस बात की जांच नहीं करा पाई कि यह जो घुसपैंठिये जम्मू काश्मीर के अन्दर हजारों की संख्या में प्रवेश करके आये थे यह किस की असावधानी से आये ? कौन है उसका दोषी और क्यों नहीं उसको दंडित किया गया ? देश के 47 करोड़ नागरिक भारत सरकार से प्रश्न करते हैं कि जिसकी वजह से इस देश का अरबों रुपया बरबाद हुआ ? हजारों जानें गईं ? जिन घुसपैंठियों ने इस युद्ध की भूमिका तैयार की, वह किसकी असावधानी से हुआ ? आप थोड़ा इस बात को बतायें तो सही । जम्मू काश्मीर की सरकार हिन्दुस्तान के पसीने की गाढ़ी कमाई का पैसा किस बुरी तरह से बरबाद कर रही है इसका एक और उदाहरण लीजिये । श्रीनगर के अन्दर जम्मू काश्मीर सरकार की जो मोटर गैराज हैं उन पर जम्मू काश्मीर की सरकार का जो पैसा खर्च करती है वह इस प्रकार है : 62–63 में 5 लाख 27 हजार 4 सौ खर्च करती थी । लेकिन पिछले साल इस सरकार ने खर्च किया 14 लाख 38 हजार और इससाल के बजट में रखा है 15 लाख 42 हजार रुपया । यह केवल मोटर गैराज के ऊपर है जिनके अन्दर मोटरें खड़ी होती हैं । अब जब इस प्रकार भयंकर रूप से धन का दुरुपयोग चल रहा है और आप यह कहते हैं कि हमने संविधान की बहु

धारा वहां लगा दी है जो राष्ट्रपति के शासन से सम्बन्धित है .....

[شری سمنانی : گیراج نہیں - باقاعدہ ڈیپارٹمینٹس ہیں -]

श्री समनानी : यह गैराजेज नहीं हैं, बाकायदा डिपार्टमेंट्स हैं । (व्यवधान)

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : वही मैं कह रहा हूं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की वहिकल्स जहां रखी जाती हैं, वही बात मैं कह रहा हूं । ..... (व्यवधान)

एक सदस्य : ट्रांसपोर्ट अलाहिदा है और गराजेज अलाहिदा हैं ..... (व्यवधान)

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सभापति जी, और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि जिससे भारत सरकार की आंख खुलनी चाहिएं और भारत सरकार को निश्चय करना चाहिए कि जम्मू काश्मीर के सम्बन्ध में आज हमारा क्या कर्त्तव्य हो जाता है ?

हम जो बाहर से अन्न भेजते हैं जम्मू काश्मीर में सस्ते दामों पर उस अन्न की स्थिति क्या है ? 1957 में जब जम्मू काश्मीर के अन्दर बाढ़ आई थी उस समय जम्मू काश्मीर की सरकार ने बाहर से केवल 50 हजार टन अनाज मंगाया। 1962–63 में 30 और 50 हजार टन के बीच मंगाया जो करीब 1 करोड़ 53 लाख रुपये का पड़ता है । लेकिन पिछले साल 65–66 में 1 लाख टन अनाज मंगाया और 66–67 के बजट में 1 लाख 40 हजार टन अनाज मंगाने को रखा है । अब आप बतायें तो सही 61–62 से क्या जम्मू काश्मीर की आबादी आज दुगनी हो गई ? और फिर 62–63 में 1 करोड़ 53 लाख खर्च आया, 63–64 में 2 करोड़ 45 लाख का आया, 64-65 में 4 करोड़ 4 लाख का आया, 65–66 में आया 5 करोड़ 87 लाख का और 66–67 का 7 करोड़ 7 लाख का है । तो इतना जो इस प्रकार से बेतहाशा पानी की तरह से पैसा बहाया जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि कब तक सरकार इस बात को आंख बन्द करके और कान बन्द करके देखती या सुनती रहेगी ।

मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए आखिर में दो तीन बातें और कहना चाहता हूं । एक तो यह रिजर्व बैंक ने जो अपनी रिपोर्ट दी है । जरा रिजर्व बैंक की रिपोर्ट को भारत सरकार ध्यान से देखे जिसमें ओवर ड्रा करने वाली स्टेट्स में जम्मू और काश्मीर को सब से पहले बताया है । अभी वहां की राज्य विधान सभा के एक कांग्रेसी सदस्य ने आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार दिवालिया होते चली जा रही है । छम्ब और अखनूर के विस्थापितों के लिये जो यहां से सहायता का पैसा भेजा जाता था। उसके दुरुपयोग को देख कर उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना, प्रतिनिधि स्वयं भेजा कि वह स्वयं जा करके उसका वितरण करे । इस तरह की स्थिति है ।

तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब कानून और सुरक्षा वहां खतरे में पड़ गई, रोजाना आग लगने और बम विस्फोट की घटनायें हो रही हैं, सरकार की लापरवाही से या उसकी मिली भगत से हजारों घुसपैठिये वहां पर आ गए और करोड़ों का नुक्सान हो गया, कम्युनिस्टों का बोलबाला हो रहा है, राष्ट्र-भक्तों पर डी० आई० आर० लगाया जा रहा है, करोड़ों और अरबों रुपया पानी की तरह बह रहा है तो अब श्री हाथी बतायें ऐसी स्थिति में भी जो धारा उस समय लगाई थी उसके उपयोग की आवश्यकता थी या नहीं ? पीछे श्री नन्दा ने यह कहा कि कानून के विशेषज्ञों से राय लेंगे । मैंने उस दिन भी कहा था और फिर दोहराता हूं । हमारे सदन में कानून विशेषज्ञों की दृष्टि से सभापति जी दो व्यक्ति प्रमुख हैं । एक हैं हमारे शिक्षा मंत्री श्री छागला

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

और दूसरे बैठे हैं बैरिस्टर श्री एन० सी० चैटर्जी। श्री एन० सी० चैटर्जी जिनका जम्मु काश्मीर राज्य से प्रारम्भ से ही सम्पर्क रहा है वह बराबर इस बात के समर्थक रहे हैं और शायद है कि आज वह मेरे इस विधेयक का समर्थन करेंगे कि जम्मू काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में धारा 370 हटनी ही चाहिए। और श्री चागला ने सुरक्षा परिषद से लौटने के बाद स्वयं यह राय दी थी कि संविधान की इस धारा 370 को हटा देना चाहिए। अब बताइए कि दो इतनी अच्छी लीगल ओपिनियन मिलने के बाद फिर और कौन सी लीगल ओपिनियन वह चाहते हैं जो कहते हैं कि कानून के विशेषज्ञों से राय लें।

जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद् का सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद् प्रारम्भ में बड़ा निष्पक्ष काम कर रहे थे। लेकिन आज जो इस संगठन की स्थिति हो गई है और जिस तरह से खुल करके इस संगठन के अन्दर जो दो राज्य उस पर प्रभावी हैं और पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं उसमें से ब्रिटेन की स्थिति तो हमारी समझ में आती है क्योंकि ब्रिटेन ने अपने लिए नया मार्केट चुना है चाइना को। चीन को उसने अपनी खपत का नया बाजार बनाया है। इसलिए चीन का समर्थक होने के नाते से वह पाकिस्तान का भी पक्ष लेता है। और भी कई कारण हैं जिनसे वह पक्ष लेता है। लेकिन 370 धारा अगर इसलिए नहीं हटाई जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा केस पड़ा है तो मैं हाथी जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केस तो केवल इतना है कि काश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के हाथ में है उसे संयुक्त राष्ट्र संघ हमें वापस दिलायेगा या अपने सैन्य बल से ही हमें उसे वापस लेना पड़ेगा? यह केस केवल इतना है। और फिर अगर संयुक्त राष्ट्र संघ से डरना है तो पाकिस्तान ने जब गुलाम काश्मीर पर अपना संविधान लागू कर दिया, वहां का झंडा हटाकर अपना झंडा लगा दिया, वहां के राष्ट्रपति खुरशीद वगैरह को हटा दिया और पाकिस्तान ने 2700 वर्गमील धरती चीन को दे दी उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्यों आपत्ति नहीं की? आज हम अपने घर में अपने विधान को लागू करें, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी प्रकार की आपत्ति क्यों हो सकती है? जहां तक सुरक्षा परिषद् की निष्पक्षता का सवाल है वह भी हमने देख लिया। जब तक पाकिस्तान का हाथ ऊंचा रहा तब तक सुरक्षा परिषद् मौन रही और जब भारत का हाथ ऊंचा हुआ तो यू थांट को भेजना और अपीलें करना शुरू किया। सुरक्षा परिषद् की इन्हीं कार्यवाहियों से विवश होकर हमारे राष्ट्रपति को सुरक्षा परिषद् को चेतावनी देनी पड़ी थी कि सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्रसंघ की समाप्ति के अध्याय को न भूल जाय कि गलत निर्णय के कारण किस प्रकार से वह समाप्त हुआ था?

इसलिए अन्तर राष्ट्रीय शांति प्रयासों के चक्कर में आकर के हम अपनी शक्ति संग्रह को न छोड़ें।

अन्त में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए एक जरूरी बात और कहना चाहता हूं। संविधान की धारा 370 के बने रहने से जहां दुनिया में हमारे प्रति सन्देह हो रहा है वहां सभापति जी, काश्मीर के लोगों में भी सन्देह हो रहा है कि भारत सरकार अभी तक पूरा मन अपना क्यों नहीं बना पाई? हर विधेयक के प्रारम्भ में हमको लिखना पड़ता है कि एक्सेप्ट जम्मू एंड काश्मीर। क्यों यह स्थिति है? जहां तक राज्यपाल और मुख्य मंत्री का सवाल है वह बख्शी गुलाम मुहम्मद के समय में ही यह विधेयक आया था और उसको जम्मू काश्मीर की विधान सभा ने पारित भी अब किया है। हम उसके लिए जम्मू काश्मीर की विधान सभा के आभारी हैं। लेकिन आज क्यों नहीं भारत सरकार श्री

सादिक को यह कहती कि जम्मू काश्मीर की विधान सभा अपनी ओर से इस विधेयक को लाये कि संविधान की धारा 370 भी हटनी चाहिये और अब यह अस्थायी उपबन्ध भी समाप्त होना चाहिए ।

आज मैं चेतावनी के रूप में कहता हूं ताकि भारत सरकार इस बात को फिर न कहे। ताशकन्द समझौते में जो जमीन हमने ली थी और जिस तरह से वह जमीन हमको देनी पड़ी, भले ही देश इस बात को आज उग्र स्वरों में न कहे, भले ही सेना इस बात को अनुशासन में बंधी न कहे लेकिन इस समझौते से जो अपनी सेना हाजीपीर और उड़ी पूंछ से लौटकर के आयी है उसमें वह अपना दिल मसोस कर के रह गए हैं । भारत सरकार उस भूल का प्रायश्चित अब भी कर सकती है । अगले कुछ महीने जम्मू काश्मीर राज्य और भारत की दृष्टि से खतरे के महीने हैं । अगर भारत सरकार ने सावधानी न की और 370 को न हटाया और इस की वजह से भारत को कुछ चोट लगी तो मैं आपको कहता हूं कि भारत की आने वाली पीढ़ी वर्तमान सरकार को क्षमा नहीं करेगी । इन शब्दों के साथ मैं अपने इस विधेयक को उपस्थित करता हूं और सदन से आशा पूरी रखता हूं कि सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित करेंगे ।

Mr. Chairman: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur): I beg to move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st August, 1966."

17 hrs.

Mr. Chairman: We have 2 hours at our disposal, out of which 1|2 hour has been taken by the Mover; 1½ hours are left. Today we will cover about one hour. Hon. Members may take 10 minutes each.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur): Time may be extended.

श्री काशी राम गुप्त : मेरा प्रस्ताव है कि इस पर बहस का समय दो घंटे और बढ़ा दिया जाय । यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और इस पर बहुत से लोग बोलने वाले हैं इसलिए समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : बहुत लोग इस पर बोलना चाह रहे हैं समय इसका बढ़ा दिया जाय ।

सभापति महोदय : अभी ज़रा चलने दीजिये, हम इसे देख लेंगे ।

श्री शिव नारायण (बांसी) : चटर्जी साहब को बोलने का 15 मिनट का समय दिया जाय ।

Shri N. C. Chatterjee (Burdwan): I was in Geneva just one month back. I was appearing as counsel for India before the international tribunal. It was dealing with the Kutch problem. I must say that I was deeply impressed by the attitude of the Pakistan delegation, and I thought the favourable attitude was due to the Tashkent accord. It created a new climate, and it gave us new hopes. I should not give details here, because the tribunal will have to operate in future, but I must say that there was a distinct change for the better in the attitude of the Pakistani delegation, and we could solve some problems without bitter acrimony or fight. I was hoping that this Tashkent declaration would lead to better understanding and accord, to a new chapter of real friendship and amity. We are sorry that the latest views of Major Bhutto....

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): He is a minor, not a major.

Shri N. C. Chatterjee: ....and some other politicians have been disappointing. One has said that Pakistan rules out a no-war pact with India. That is a great disappointment. I thought that the first thing to which Pakistan had committed itself when President Ayub and Shri Lal Bahadur Shastri, our revered Prime Minister met at Tashkent, was that they had decided that there shall be no war, no solution by armed forces as between India and Pakistan, but they are now singing a different tune.

Another great leader has just announced in the Pakistan National Assembly, to which reference has been made by Shri Prakash Vir Shastri, that the Tashkent declaration was a complete diplomatic victory for India and for the Soviet Union. That is not a fair statement to make and that shows that the old complex is again operating. I hope that they will think over this problem and not indulge in such kind of declarations which will spoil the atmosphere and again lead to disaster.

Without impeaching the Sadiq Government or without attributing any serious default to that administration, may we point out in all seriousness that article 370 is completely incongruous in the context of things. The article says that notwithstanding anything in the Constitution, these temporary provisions are made with respect to the State of Jammu and Kashmir. That was made operative from 26th January 1950. I am sorry that the Prime Minister is not here and that she cannot give a definite assurance to the House that this article which is a serious blot on the Constitution will be removed. The late Prime Minister definitely said that this would disappear. I mean Jawaharlal Nehru. Mr. Shastri when he came back after an unfortunate incident in Kashmir said that definite steps will be taken to make the integration more effective. If you want to make integration effective, can you keep article 370 on the statute book? Look at clause (1) of this article:

> "The provisions of article 238 shall not apply in relation to the State of Jammu and Kashmir."

Article 288 has since been repealed. Then look at clause (B):

> "The power of Parliament to make laws for the said State shall be limited to (certain things)."

Then there is the explanation. You know that the explanation had been altered. You come from that State and you know better than anybody else that a new explanation was put in due to the Constituent Assembly resolution on the State of Jammu and Kashmir. Therefore, slowly there has been erosion of article 370. A good bit of it has gone. My hon. friend the Mover pointed out that there was reference to Maharaja and his proclamation and so on—all completely out of date to the present state of things. How can you say repeatedly both in this House as well as in the International Assembly that Kashmir is an integral part of India. How can you say that this is not a negotiable issue and at the same time keep article 370? You must be consistent. Logically, legally and constitutionally our profession demands an immediate revision of article 370. How is the Government going to tackle this problem? Were this provision simply to assuage feelings, that we shall take steps hereafter when will you take steps to put the constitution in conformity with the fundamental proposition that Jammu and Kashmir shall be completely on par with West Bengal or Kerala or any other State in India? How can we have a constitutional provision like this that derogates from your basic stand? Our profession and our stand are at variance with our repeated declaration that on no account shall we allow this integration to be affected in any way. It seems to a large extent an idle talk when we keep article 370 and some other articles in the Constitution. What is the difficulty in repealing this

article 370? You say that there shall be complete integration. There has been complete integration and no power on earth can destroy that integration. Whatever Pakistani statesmen may say, whatever may be the invectives they use against us we will not allow this sacred relationship between Jammu and Kashmir and the rest of India to be in any way whittled down. How can we keep this article 370? I am therefore suggesting that the time has come when we should put this Constitution in a proper shape and form consistent with our declaration, consistent with the repeated professions of our Prime Ministers' and other leaders' statements. Mr. Chagla had declared in the Security Council and the whole of India is behind him that we shall not allow this relationship to be disrupted by any process, however much Pakistan may try to create trouble. The aggression by Pakistan, the infiltration by Pakistan was organised by Pakistan. Whatever some British statesmen may say, we know that they have been wrongly advised or they are indulging in wishful thinking. The honest truth is that there has been deliberate, calculated aggression on India and when the attack came on Kashmir, we took it as an attack on the whole of India. We stood by the late Lal Bahadur Shastri when our army moved in order to vindicate our honour, to vindicate the honour of Kashmir, which meant the vindication of the honour of India, and the integration of Kashmir with India. The whole of India stood by the Prime Minister.

It was a wonderful exhibition of national will, the demonstration of national solidarity. Today, there are many things happening which are very distressing, which are putting in peril that cohesion, that solidarity, that demonstration of national unity. We hope that that will all end and ultimately the integrating forces will triumph. If we want the integrating forces to triumph, if we want the consolidation of India to be put on a satisfactory footing, the most essential thing is to put the Kashmir problem beyond all doubt and dispute.

We are happy that practically all Members from Jammu and Kashmir supported the resolution last time and they were supporting the Bill also. I hope there shall be no politics in it and no question of parties, no question of political affiliation, and that all sections of the House will unanimously support this demand and put India vis-a-vis Kashmir on a proper, satisfactory and durable basis to make it clear to Pakistan and to the whole world that that problem is finished, and that there is no question of reopening it. I am tired sometimes of hearing that Kashmir is part of India, an indissoluble part, an integral part. Let us make it an integral, indissoluble, permanent part of India on a par with all the other States by putting our own Constitution which is the highest organic law, in proper shape and form.

Shri Inder J. Malhotra (Jammu and Kashmir): Mr. Chairman, Sir, it is a very historic moment from one respect, that you happen to be presiding over the deliberations of this House when this Bill is being discussed in this House. Last time, when the bill was brought before the House, at that time also, I and my other colleagues from Jammu and Kashmir State categorically pointed out that we and the people of Jammu and Kashmir as a whole give our wholehearted support for the abrogation of article 370. Now, we have to see whether, since the last time when this Bill was discussed in this House, due to the fact that certain series of things have happened in the State of Jammu and Kashmir or, I would say, in the whole country, that moment have come when the Government should take immediate steps to remove this constitutional disparity.

We all know how the people of Jammu and Kashmir suffered during the recent war with Pakistan. I want to ask one thing of the Central Gov-

[Shri Inder J. Malhotra]

ernment: when there is war in the country, when our country is invaded by the armies of an enemy country, and the people of Jammu and Kashmir shed their blood with other Indian brethren to defend the soil of this country, what hindrance is there before this Government to remove this constitutional disparity. After the Tashkent agreement, it has become more necessary to remove all kinds of constitutional disabilities so that all fears from our mind are also removed.

I want to be absolutely frank. During the last 17 to 18 years, it has been a sort of policy of the Central Government to consider this question from time to time, and every time when the Central Government, the Government of India, had some kind of discussion or negotiation with the Pakistan Government, at that point of time, we always pointed out that let this question be decided once for all. The leaders of all the political parties ies—Congress as well as the opposition—have declared so many times from the house-tops that Jammu and Kashmir is an integral part of India, as good as U.P., Maharashtra, Gujarat or any other State. If practically the position is that, I do not see what special reasons or arguments the government has in its mind for not removing this constitutional disparity. We welcome the Tashkent Declaration; we welcome that there should be no war with Pakistan and India and Pakistan must live in peace. But as we pointed out last time, please for God's sake, do not try to have peace with Pakistan at the cost of the people of Jammu and Kashmir. I remember the words of our late Prime Minister and other leaders when the Indian forces occupied Haji Pir pass. Time and again it was declared that that area shall never be vacated. Now, I do not challenge the judgment of the government in vacating that area, because if we can have a lasting peace with Pakistan and solve our outstanding problems with Pakistan, we do not mind vacating that area. But at the same time, there are some fears in our minds, and rightly so.

You may discuss with Pakistan to solve all the outstanding problems, but in the negotiations no concession should be given to Pakistan to have the slightest change in the status of Jammu and Kashmir. The hon. mover has referred to the present administration in that State. I agree that the administration has committed mistakes. There are faults with every State administration or central administration or any administration in the whole world. I do not agree with the arguments of the mover that since the administration in Jammu and Kashmir has committed mistakes, the article should be abrogated. That is a secondary question. There are bound to be faults and mistakes on the part of the administrations. But the basic question is, we have to approach the problem from the point of view of national integration. Even today one of the major pillars of India's secular character is the State of Jammu and Kashmir. I therefore plead that the time has come mainly to strengthen our national integration all over the country and to remove any kinds of fear or misapprehension which might arise in the minds of the people of not only Jammu and Kashmir but the entire country that in negotiating with Pakistan, the government would bring any kind of change in the status of Jammu and Kashmir.

Shri Kapur Singh (Ludhiana): *rose*—

Mr. Chairman. Dr. Singhvi:

Shri Kapur Singh: You should have called me first.**

Mr. Chairman: The hon. member must withdraw those words. I must make it clear that in a resolution or Bill like this, there is no question of party. The hon. Member, Dr. Singhvi, wrote me a letter that he was going to

**Not recorded.

such and such meeting where the Speaker was to preside. I know there is urgency for him and therefore I have called him.

That will not go on record.

Shri Kapur Singh: You yourself told me that you will call me third; now that turn also is gone and you have called somebody else.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): We are also members of Parliament; what does he mean by somebody else?

Mr. Chairman: Order, order. Please resume your seat. Again, the Chairman did not tell him. It was Sham Lal Saraf who might have told him sitting by his side. The Chairman is different, Sham Lal Saraf is different. The question is, Dr. Singhvi and, I can say, even myself had to attend a certain meeting. The Speaker had to preside. He is not there. So one of us has to perform the duty. He wrote to me a note that he has to go and therefore I called him. Even otherwise, it is not necessary that in this debate I should go in a certain order. It depends upon whoever is able to catch my eye. Let Dr. Singhvi speak and then we will see.

Shri Sheo Narain: Did he withdraw those words?

Mr. Chairman: It will not go on record.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्रीमन्, मैं पूरी आस्था के साथ यह मानता हूं कि संविधान से अनुच्छेद 370 की परिसमाप्ति का समय आ गया है। हम समझते हैं कि आज हम राष्ट्रीय राजनीति के एक ऐसे मोड़ पर हैं जिस पर अगर हम इतिहास की विवशताओं के सामने नहीं झुकेंगे, अगर हम इतिहास के बुलावे का नकारात्मक उत्तर देंगे तो शायद आने वाली पीढ़ियां हमारा समर्थन नहीं कर सकेंगी और हमें वह स्थान नहीं देंगी जो हमें प्राप्त होना चाहिये।

इसमें कोई शक नहीं है कि जब अनुच्छेद 370 हमारे संविधान में रखा गया तो शायद उसकी कोई आवश्यकता रही होगा। किन्तु यह भी स्पष्ट है कि उस समय से संविधान में उसको एक अंतरिम स्थिति थी, एक संक्रमणकाल की स्थिति थी, एक अस्थायी स्थिति थी। एक स्थायी स्थिति नहीं थी। अगर वह स्थायी स्थिति नहीं थी तो कोई कारण नहीं है कि अनुच्छेद 370 हमारे संविधान का एक स्थायी अंग बन कर रह जाए।

हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू अकसर कहा करते थे कि धीरे धीरे इस अनुच्छेद का विलय हो जाएगा, साम्यवाद की भाषा का प्रयोग करते हुए वह कहा करते थे।

"Article 370 will wither away".

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): Article 370 will erode.

Dr. L. M. Singhvi: He used the expression "wither away". Let us hope that it will wither away because the period of erosion has already been a very long one already. Now is the time for its withering away.

किन्तु ऐसा मालूम होता है कि जिस प्रकार साम्यवाद में राज्य का विलय नहीं हुआ है, राज्य समाप्त नहीं हुआ है, अधिक से अधिक मजबूत होता गया है उसी तरह से अनुच्छेद 370 भी आज गायब होने के बजाय एक स्थायी रूप धारण करता जा रहा है।

यह सही है कि कुछ अर्से पहले कुछ ऐसे परिवर्तन हुए थे जिनका हमने हृदय से स्वागत किया था और अब भी करते हैं। यह सही है कि वहां के सदरे रियासत को अब राज्यपाल कहा जाता है। यह भी सही है कि प्राइम मिनिस्टर को अब

[डा० एल० एम० सिंघवी]

मुख्य मंत्री कहा जाता है। मगर यह केवल अभिधान का परिवर्तन था, नाम-मात्र का परिवर्तन था। यह सही बात है कि जब तक 370 अनुच्छेद कायम रहेगा तब तक भारतीय जनता को और मैं समझता हूं जम्मू काश्मीर की जनता को कभी भी संतोष नहीं हो सकता है। यह बात विवाद की नहीं है कि इस अनुच्छेद को संविधान से समाप्त किया जाए। इस बात को सरकार भी कई बार स्वीकार कर चुकी है कि यह स्थिति किसी भी प्रकार से श्लाघ्य स्थिति नहीं है, किसी प्रकार से ऐसी स्थिति नहीं है जिसको अधिक अर्से के लिए चलाया जाए। किन्तु सवाल यह है कि हम कब तक इसके बारे में निश्चय को स्थगित करते रहेंगे? कब तक हम इस बात को टालते रहेंगे? पिछले कई वर्षों से यह कहा जाता रहा है कि बहुत जल्दी इसके बारे में निश्चय लिया जाएगा। मैं समझता हूं कि अब भी कोई कारण नही है कि कोई यह कहे कि ताशकंद का जो समझौता हुआ वह इसके रास्ते में आता है, कोई कारण नहीं है कि कोई यह कहे कि संविधान की कोई बात इसके रास्ते में आती है, कोई वजह नहीं है कि कोई इस प्रकार का तर्क पेश करे कि कुछ ऐसी कठिनाइयां, कुछ ऐसे असरात हो सकते हैं, कुछ ऐसे प्रभाव हो सकते हैं जिनके कारण से यह निश्चय जल्दी नहीं लिया जा सकता है या इस निश्चय को कार्यरूप में परिणत नहीं किया जा सकता है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि अगर पिछली बहस के वक्त जब गृह मंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया था कि मैं इसके बारे में कानूनी परामर्श लूंगा और जल्दी इस बारे में कोई निश्चय कर लिया जाएगा तो विलम्ब क्यों किया जा रहा है।

हम इस वक्त एक ऐसी स्थिति में है जबकि निश्चयात्मकता ही इस सरकार को और इस देश को बचा सकती है। अगर निश्चयात्मकता का अभाव हमारे देश में रहा तो न प्रशासन रहेगा, न कानून और न व्यवस्था रहेगी। इस निश्चयात्मकता का अभाव जब हम देखते हैं तो मुझे कुछ दुख होता है।

यह सही है कि आज हमारे मंत्री महोदय कुछ न कह कर इस बात को फिर टाल देंगे, फिर आगे पेशी पड़ जाएगी। किन्तु ये पेशियां कब तक पड़ती रहेंगी? इस बात का निश्चय सरकार को करना है और जब सारा सदन इस बारे में एक मत है जब सारा देश इस बारे में एक मत है, जब काश्मीर के वर्तमान मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री नहीं बने थे और यहां आए थे तब उन्होंने इस बात को कहा था कि अनुच्छेद 370 समाप्त होना चाहिये, दूसरे वहां के नेता भी यह कहते हैं कि इस अनुच्छेद को समाप्त होना चाहिये, फिर क्या वजह है, क्या बाधा है, क्या मनोवैज्ञानिक दुविधा इस सरकार को है कि वह इस अनुच्छेद को समाप्त नहीं करती है, इसको समाप्त करने के वह खिलाफ है।

एक शब्द काश्मीर की वर्तमान राजनीति के सम्बन्ध में, राजनीतिक स्थिति के सम्बन्ध में कह कर मैं समाप्त करता हूं। मैं समझता हूं कि देश के हित में यह होगा कि वहां जिस प्रकार आपसी मनमुटाव चलता आ रहा है और उस मनमुटाव का परिचय रिट याचिकाओं और कानूनी मुकदमेबाजी में मिलता है, उसको जल्दी समाप्त किया जाए। यह देश के लिए बहुत अच्छा होगा। बक्शी साहब एक अच्छे प्रशासक रहे हैं। उनके लिए हर दिन, हर वक्त और हर साल कम से कम

इस सरकार ने तो कई प्रकार के प्रमाणपत्र इस सदन में दिये हैं और अन्यत्र भी दिये हैं। आज जब हम यह कहते हैं कि हर तरह से वह खराब थे तो वह बात किसी के गले नहीं उतरती है। जो भी हो यह एक अच्छा मौका था जब जम्मू काश्मीर के उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया था तो उस बात को आगे न बढ़ाया जाता। मैं समझता हूं कि भारतीय सरकार इस बारे में कुछ दूरदर्शिता से काम लेकर बीच बचाव करेगी। उसको ऐसा करना भी चाहिये। उसको कुछ हस्तक्षेप करना चाहिये। ऐसा नही होना चाहिये कि वह पर्यवेक्षक की तरह देखती रहे, दूर बैठी देखती रहे और जो होता है वह वैसे होता चला जाए। सरकार की स्थिति केवल पर्यवेक्षक की नहीं है, खास तौर से ऐसे राज्य में जहां की राजनीति से हमारे देश की सुरक्षा का भाग्य जुड़ा हुआ है। मैं आशा करता हूं कि इस विषय में भी हस्तक्षेप होगा और इस प्रकार का हस्तक्षेप होगा कि वहां का राजनीतिक मनमुटाव मिट सके, वहां की राजनीति में जिन लोगों ने अब तक सक्रिय भाग लिया है और आप उनमें से स्वयं एक रहे हैं, वे लोग समर्थ रूप से अपना योगदान वहां की राजनीति में कर सकें। इस प्रकार की स्थिति वहां उत्पन्न होनी चाहिये।

सर्वोपरि यह मैं आवश्यक समझता हूं कि अनुच्छेद 370 की परिसमाप्ति के बारे में सरकार आज या जब इस बहस की परिसमाप्ति हो, अपना निश्चय, अपना मंतव्य हमारे समक्ष रखे और इस बात को टालने की कोशिश न करे और एक इस प्रकार का कार्यक्रम हमारे सामने रखे कि किस तरह से, किस समय और किस अवधि के बीच में इसे अनुच्छेद की परिसमाप्ति हमारे संविधान से हो जाएगी।

श्री काशी राम गुप्त : सभापति महोदय, में निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि बहुत से मैम्बर्ज बोलना चाहते हैं इस वास्ते इसके लिए जो समय नियत है उसको दो घंटे और बढ़ा दिया जाए।

श्री शिव नारायण : मैं इसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : इस समय मेरे पास पंद्रह नाम है। इतना ही नहीं बल्कि दलों के लीडर साहब भी हैं जो बोलना चाहते हैं। आज जो दो घंटे इसके लिए रखे गए हैं वे पूरे नही होंगे। इस वास्ते दूसरे दिन इसको लिया जाए। उस वक्त आप इस समय की बात तो को उठा सकते हैं। जितना समय आप चाहें तब ले सकते हैं, उसकी मांग कर सकते हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आज ही कर दिया जाए तो अच्छा होगा।

सभापति महोदय : आज नहीं उसी वक्त ले लेंगे।

श्री शिव नारायण : यह चिट्ठी वाला सिस्टम बन्द किया जाए

Shri Kapur Singh: Mr. Chairman, Sir, I rise to oppose Bill No. 86 of 1965, the Constitution (Amendment) Bill, 1965. This Bill has 4 operative clauses that adumbrate 9 steps which are aimed to give a new foundation and a new flooring to the State of Jammu and Kashmir.

The first six steps are contemplated in clause (2) which aim at taking away certain privileges and rights of the State Constitution, the State executive, the State Legislature and the Head of the State and the seventh step which is contemplated in this Bill is the application of Part XVII of the Constitution which relates to clamping of Hindi as the Union language on Kashmir, Clauses 4 and 5 complete the process of not only completely reduc-

[Shri Kapur Singh]

ing the State of Jammu and Kashmir to one of the component parts of India but also of taking away all distinctive or distinguishing rights or privileges that they have so far enjoyed.

The aims of this Bill, as far as I have been able to analyse, are three. The first aim is repudiation of all solemn promises made to the people of Jammu and Kashmir by leaders of Indian Government from time to time since 1947. The second aim is repudiation of solemn undertakings and commitments made by the Government of India leaders from time to time to the international community and to the organised international community called the UNO. The third aim is abolition of the State Constitution promulgated by the Jammu and Kashmir State Constituent Assembly with the blessings and approval of the people and the representatives of a free India.

This Bill has a background as the hon. Mover has himself hinted at. Not long ago, the hon. Mover of this Bill brought out here a proposed legislation which suggested that article 370 should be removed from the Constitution of India and he thought that by the removal of this article 370 from the Constitution of India we shall be able to integrate Kashmir with India fully. After this, the Government did not accept this Bill but promised to take steps to achieve his objectives. Certain Presidential orders followed and then lastly cerain amendments to the State Constitution followed by the Jammu and Kashmir Legislative Assembly and the whole matter was concluded by the Indo-Pak conflict of September 1965.

The Mover of this Bill irresistibly reminds me of the Helen of Troy. The readers of the Homeric poems will recall the story of Helen, who was, according to the Greek mythology, the daughter of Zeus—God Indra, the god of thunder. Her mother was Uemesis, goddess of punishment for evil deeds. She was begotten out of illicit union, for Nemesis was the wife of Menelaus, as the mythology tells us. She was the most beautiful woman in the whole of Greece but she was the cause of the Trojan War and she was the cause of the destruction of Troy itself. It is this Helen, the most beautiful of Greek women, the model of beauty....

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : आपसे भी सुन्दरता का वास्ता है ।

Shri Kapur Singh: I will not be interrupted by remarks which are *prima facie* vulgar and which have no relevance whatsoever to what I am saying.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): It is not outside the purview. Still, you have got beauty.

Shri Kapur Singh: Now when I am talking about Helen I expect good taste from hon. Members also.

Shri Bhagwat Jha Azad: And we complimented you.

Shri Kapur Singh: This Helen is referred to by the poet as the face that launched a thousand ships. Such is the face of the hon. Mover of this Bill, the face that unleashed the Indo-Pakistan conflict.

May I clarify the position which I am taking by saying a few words about what I conceive to be the relationship between India and Kashmir? Kashmir is and has been an integral part of India for centuries past and Kashmir is, under our Constitution and by virtue of the laws of Nations, an integral part of India. But Kashmir has been allowed to be dragged into the arena of international politics for reasons the responsibility for which we, the Indian leadership, cannot escape.

Now, the question is not of constitutionally integrating Kashmir with the Union of India but the question is of winning back Kashmir which we have near-lost through our own mistakes. We have sunk untold millions into the valley and other areas of Kashmir to

convince the people of Kashmir that they belong to us and we belong to them. We have spilled the blood of thousands of our youngmen in the battlefields of Kashmir and in the environs of Kashmir to convince the international community and some neighbours of ours that we regard Kashmir as ours. But we may not succeed in winning back Kashmir by sacrifices in money and blood alone now. Kashmir has to be won back on the field of hearts of the people of Kashmir. And, once that battle is fully and finally won, then that bond may have still to be strengthened and sealed with the precious blood of our yougmen on some battle-field. This is a road which is not only long but is also soaked with blood and tears of millions. This is a road which is overhung with the smoke of machinations of foreign States and the smell of war. This is not a road which passes through the Mughal Gardens of the Constitution Act of India. Amendments to the Constitution Act of India are not only puerile and naive but also spell out such complications as create more problems than they solve.

For these reasons, it is my painful duty to oppose this Bill wholly and in its entirety.

श्री भागवत झा आज़ाद : सभापति जी, सदन में संविधान की धारा 370 को हटाने के लिये जो विधेयक लाया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। पिछले अवसर पर भी इस संशोधन पर इस सदन के सभी सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की, और वह थी, एक मत से, कि इसे हटा दिया जाये। अगर इस समय यह अवसर नहीं आया था कि इसे हटा दिया जाये तो आज यह अवसर बहुत ही उपयुक्त है कि इसे हटाया जाये। इसके अनेक कारण हैं। आज हम देखते हैं कि हमारी बराबर यह भावना रही है कि हम अपने पड़ोसी के साथ हर विषय पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखें, और उसमें उनसे कोई चीज न लेकर, अपनी तरफ से ही गंवा कर यह प्रयास करते रहे हैं। मगर इस स्थिति में भी पाकिस्तान के शासकों में बुद्धि नजर नहीं आती।

ताशकंद में एक महत्वपूर्ण घोषणा हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने की। उस ताशकंद घोषणा में हमने अपनी उदारता का परिचय दिया, और उदारता का परिचय देकर उस भूमि से अपनी फौज को वापस बुलाया, जो भूमि हमारी है और हमारी रहेगी। लेकिन इस उदारता के बावजूद भी पता नहीं पाकिस्तान को क्यों अक्ल नहीं आती है। अभी अभी परसों भुट्टो साहब का जो स्टेटमेंट आया है, या उसके पहले जो बयान वह देते रहे हैं, उनसे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि वह इस बात को नहीं समझते कि ताशकंद में भारत के प्रधान मंत्री ने, भारत की सरकार और जनता ने, जो उदारता का परिचय दिया, उस उदारता के परिचय में कम से कम वह चुप तो रहें, अगर उस पर अमल करने के लिये सही प्रयास न करें या अपने दांव को नहीं समझ सकते हैं। और वह समझेंगे कैसे। पाकिस्तान सरकार जनता के मत पर तो है नहीं इसलिये वह इस बात में असफल मालूम पड़ते हैं। लेकिन इसके यह अर्थ नहीं होते हम उनकी उन भावनाओं से उत्तेजित होकर अपनी तरफ से अपना काम करना बन्द कर दें।

मैं एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। शास्त्री जी ने इस संशोधन विधेयक को पेश करते हुए दो एक ऐसी बातें कहीं जो मुझे उपयुक्त मालूम नहीं होतीं। उन्होंने बतलाया इस समय रूस की नीति में परिवर्तन हो गया है और इस बात पर उन्होंने काफी बल दिया। मैं समझता हूं

[श्री भागवत झा आजाद]

कि हम को अपने आचार विचार और भाषणों से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जिससे हमारे मित्र, जिन्होंने हमें बराबर सहायता दी है और साथ दिया है और जिनसे इस समय भी साथ देने की अपेक्षा की जाती है, वह हमसे बिछड़ जायें। मेरी दृष्टि में ताशकंद में जो समझौता हुआ वह किसी प्रकार के दबाव पर नहीं हुआ, बल प्रयोग पर नहीं हुआ।

हां यह बात ठीक है, और मैं मानता हूं, कि अपनी भूमि से अपनी फौज को वापस बुला कर हमने एक मौका पाकिस्तान को इस बात का दिया कि वह इस बात को समझे कि जम्मू और काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग नहीं है। यह बात ठीक नहीं थी कि हाजी पीर की बात आये क्योंकि जो आजाद काश्मीर के नाम से पाकिस्तान के कब्जे में है, जो आक्युपाइड काश्मीर है, वह भी भारत का अंग है, लेकिन अगर हमारे देश ने इसमें कोई समझौता किया तो इसका मतलब था कि पाकिस्तान इस बात को समझे कि जो भारत का भाग अब तक उसके पास है वहां से उसको हट जाना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि रूस के सम्बन्ध में शास्त्री जी की यह आलोचना गलत है क्योंकि इस बातचीत के दर्म्यान में भी रूस की नीति का स्पष्ट परिलक्षण हमें मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि वह अपने स्टैन्ड में कोई बदलाव नहीं करते। इसलिये रूस को इस बात के लिये दोष देना कि उन्होंने हमें सीज फायर लाइन पर जाने के लिये मजबूर किया, गलत है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के सम्बन्ध में शास्त्री जी का यह उल्लेख समय के विपरीत है और अवसर के विपरीत है। मैं यह मानता हूं कि रूस हमारा मित्र है, जिसने हमें समय पर सहायता की इस सम्बन्ध में और वह अपनी नीति में आज भी सुदृढ़ है।

श्री शास्त्री ने इस संशोधन विधेयक को पेश करते हुए सादिक सरकार के सम्बन्ध में भी कहा। सादिक सरकार की नीति और सादिक के दृष्टिकोण को शास्त्री जी जानते हैं और आप भी जानते हैं। उनके आप मित्र रहे हैं। मैं उस बात पर आलोचना नहीं करता लेकिन मैं भारत सरकार को एक बात कहना चाहता हूं। वह यह है कि भारत सरकार बराबर यह गलती करती आई है कि जिसको काश्मीर में बनाया उसको वहां का सम्राट बना दिया। श्रीमान् शेख अब्दुल्ला आये, उनको इतनी पावर्स दीं कि उनकी मर्जी के बिना कोई काम नहीं हो सकता था। आज वह शेख अब्दुल्ला सब से बड़ा देशद्रोही निकला और उसका स्थान ठीक उसी जेल में है और वहां भी बंगले में नहीं बल्कि किसी सेल में उसका स्थान होना चाहिये। उसके बाद बख्शी साहब को बनाया। बख्शी साहब को भी पूरी छूट दी, जो चाहें करें। और अगर आप सम्हलना चाहें तो ऐसा अब शुरू किया उसके बाद में उसके खिलाफ में कि जिस प्रकार से भी हो, जल में बन्द करके, स्वास्थ्य गिरा कर, जिस प्रकार भी हो मैं तो सिंघवी साहब के उस विचार का समर्थन करता हूं कि अगर आपने उनके ऊपर कमीशन बिठाया और कमीशन बिठाने के बाद हाईकोर्ट ने उस याचिका को नामंजूर कर दिया तो आपको थोड़ा ग्रेस होना चाहिये और आप यह कोशिश कीजिए क्योंकि बिहार में दो नेता लड़ सकते हैं, मद्रास में लड़ना चाहें लड़ जायें, महाराष्ट्र में लड़ना चाहें लड़ जायें, उत्तर प्रदेश में दोनों लड़ ही रहे हैं, लेकिन काश्मीर में हम यह लग्जरी .....

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : लेकिन इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश का क्या सवाल है ? (व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद : आपका प्रदेश नेता है लड़ने के मामले में और मैंने पहले बिहार का कहा तब उत्तर प्रदेश का कहा ..... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आर्डर, आर्डर ।

Shri Bhagwat Jha Azad: I cannot give brains to my hon. friends on the right or left. (*Interruptions*). I can give facts and figures, but I cannot give brains to anybody. (*Interruptions*).

सभापति महोदय : कृपया आप ध्यान दिया कीजिये कि माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं । इसमें मखौल नहीं होना चाहिए । बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, इस पर ध्यान रखिए ।

श्री बाल्मीकि : आपकी आज्ञा से एक मिनट लेना चाहता हूं ।

श्री भागवत झा आजाद : सभापति महोदय, मैं नहीं बैठता ।

मैं यह कह रहा था कि हम हिन्दुस्तान के अन्य भागों में चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे और भी कोई राज्य हो, वहां पर राजनीतिक दलबन्दी और अखाड़े की लग्जरी को बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन काश्मीर में बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर इसके कुछ कारण हों तो भी । इसलिए मैंने कहा कि जहां भारत सरकार सब दिन से यह नीति मानती आई है, शेख अब्दुल्ला साहब वहां के सम्राट, जो कह दें कोई उनकी मर्जी के खिलाफ बातचीत नहीं हो सकती, मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं । दूसरे बख्शी साहब को भी वही पावर्स और अगर उनको अलग किया, तो आज इस तरह से मालूम पड़ता है कि पोलिटिकल परसीक्यूशन उनका करना चाहते हैं । आज सादिक साहब हैं । मैं उनकी सरकार की आलोचना नहीं करता लेकिन मैं भारत सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इनको भी वह ओहदा देकर के इनका दिमाग खराब मत करना । वहां पर आज आवश्यकता इस बात की है कि वहां और यहां का विलयन न केवल 370 धारा को हटा कर के बल्कि सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भी हो । उदाहरण के लिए मैं कहूं । वह भारत का एक अविभाज्य अंग है तो आज क्यों जम्मू के निवासियों को श्रीनगर में बसने की इजाजत नहीं है ? क्यों भारत के अन्य भाग के लोग, को वहां बसने की इजाजत नहीं है ? मैं यह नहीं कहता कि हम यहां के कैप-लायटर्स को, शोषण करने वाले को वहां भेजें । इस पर आप प्रतिबन्ध लगा दीजिए । लेकिन अगर कोई चार एकड़, पांच एकड़ खेत जोतने वाला वहां जाकर बसना चाहे तो उसे तो बसने दिया जाय । विलयन का अब असली रूप यह है ।

सभापति जी, मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं यह कहते हुए कि सुरक्षा परिषद् का तो हम नाम न लें । सुरक्षा परिषद की काल कोठरी में सब दिन न्याय पड़ा कराहता रहा और आज भी कराह रहा है । सुरक्षा परिषद् का वह अखाड़ा है जहां बड़े बड़े मजबूत राष्ट्र लड़ते हैं । क्यों नहीं वियटनाम पर कमेटी बुलाये हैं ? नहीं बुला सकते । इसलिए न सुरक्षा परिषद् की आड़ ली जाय, न पाकिस्तान के मुंह की ओर देखा जाय बल्कि भारत सरकार मुस्तैदी के साथ, साहस और हिम्मत करके कम से कम पाकिस्तान से ही सबक ले कि आजाद काश्मीर की की सरकार उलटी गयी, तो आज निश्चयात्मक रूप से 370 धारा को हटा दे और हटा करके जो श्रीमान् इन्द्रजीत जी ने कहा कि आज काश्मीरियों के दिमाग में धोखा है कि हम कहां हैं, इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद, त्याग के बाद, इतने बड़े बलिदान के बाद और इतना रक्त बहाने के बाद आज उनके दिमाग से क्या यह सन्देह हटाया जा रहा है और क्या उन्हें विश्वास दिलाया जा रहा है कि वह सचमुच भारत के अविभाज्य अंग हैं और यह हम तभी कर सकते हैं जब धारा 370 को विधान से सदा के लिये विदा कर दिया जाय ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : सभापति महोदय, आज के सब वक्ताओं ने सिवाय सरदार कपूर सिंह के इसका सत्कार किया है और सरदार कपूर सिंह ने बड़ी

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

अच्छी भाषा में आखिर जाते जाते यह बात मंजूर कर ही ली कि हमको काश्मीर का विलय सम्पूर्ण रूप में कर लेना चाहिए। एक बात उनकी मेरी समझ में नहीं आयी कि हमने काश्मीर की जनता को जो वायदे किये थे वह हमने नहीं निभाया है। वह बहस करते हुए इस बात को भूल गए कि काश्मीर की जनता ने वहां की विधान सभा को चुना है और उस विधान सभा ने, उस संविधान सभा ने एक कांस्टिट्यूशन को पास किया है और उस कांस्टिट्यूशन में यह बात तय कर दी है उन्होंने कि हमारा विलय भारत सरकार के साथ हो गया है। इससे ज्यादा और क्या वायदा पूरा करना था हमको यह हमारी समझ में नहीं आया। आज हम यह देख रहे हैं जैसा कि श्री भागवत झा आजाद ने भी आपका ध्यान दिलाया है कि भारतवर्ष का एक अंग होते हुए भी काश्मीर में मैं जाकर बस नहीं सकता। मैं वहां जाकर जमीन नहीं खरीद सकता। मैं वहां रह नहीं सकता, मैं वहां व्यापार नहीं कर सकता, मैं वहां पर अपनी जायदाद नहीं बसा सकता यह रुकावट कब तक भारतवर्ष और भारतवासियों के ऊपर लादी जायगी और क्यों लादी जायगी? किसके हक में है यह? जब काश्मीर का वह अंग जिसको कि आज पाकिस्तान ने हड़प लिया है वहां पर कोई भी पाकिस्तानी जाकर बस सकता है तो ऐसी कौन सी रुकावट हमारे वास्ते है कि जहां हमारे पास कानूनी विलय हो चुका है, जहां की जनता ने उस विलय स्वीकार किया हुआ है, जहां हमारी गवर्नमेंट का और हमारा झंडा अब फहरा रहा है, जहां प्रेसीडेंट का रूल लागू किया जा सकता है, जहां हमारे डिफेंस आफ इंडिया रूल्स लागू हैं, सारे कानून जहां हमारे लागू होते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट का अधिकार वहां के हाई कोर्ट के ऊपर होते हुए भी, हम आज यह बात तय न ीं कर पाते हैं, यह कब तक ऐसी स्थिति हमारे देश में चली आयेगी और क्या यह चली आ रही है, यह समझ में नहीं आता। क्या यह गवर्नमेंट आंख खोल कर देखेगी कि हमारी आज सारी जनता यह पुकार रही है कि अब हम दो अलग अलग नहीं रह सकते हैं? हमको बिल्कुल विलय हो जाना चाहिये, पानी में पानी मिल जाना चाहिये। एक से दूसरे को पृथक नहीं देखना चाहते। इस बात का निर्णय लेने में हमारी गवर्नमेंट को क्यों रुकावट हो रही है यह मेरी समझ में नहीं आता है। टिथवाल चला गया, हाजीपीर चला गया, कारगिल चला गया, यह सारी तो दुखदायी घटनाएं हैं लेकिन अब किस प्रकार से कार्य हो? गवर्नमेंट की नीति किस आधार पर इस काम को कर रही है उस पर नुक्ताचीनी न करना ही मैं अच्छा समझता हूं लेकिन दुख तो जरूर होता है कि क्यों हमने यह हिस्से छोड़ दिये जो हमारे पास में आये थे। आज पाकिस्तान का रुख हमारी तरफ बिल्कुल दुरुस्त नहीं हुआ है। जहां देखो वही यही बात कहता है। हमारे चैटर्जी साहब कहने लगे कि मैं जेनेवा में गया। वह हमसे बड़ी मीठी बातें करने लगे। मैं बड़ा खुश हो गया। अरे भाई, पाकिस्तानी बात करने में, तकल्लुफ से बात करने में तो मैं समझता हूं कि लखनवियों को भी मात कर जाते हैं। तो उन्होंने तकल्लुफ से बात कर लिया, इसमें राजी होने की बात क्या थी? राजी तो तब होते कि जब सारे ताशकन्द में ताली बज रही थी तो वह शाहनवाज भुट्टो, वह चुपचाप अकड़ कर बैठा हुआ था, उसी आदमी के हाथ में तो बात थी और वह आपसे राजी हो नहीं सकता, वह आज भी राजी नहीं है। तो ऐसी हालत में जब हम देख रहे हैं कि सारी पाकिस्तान की बागडोर जिन आदमियों के हाथ में है उनका दिल साफ नहीं है तो हमारे साथ यह व्यवहार होगा ही और यह व्यवहार चालू रहेगा। मैं इस बात की कभी सराहना नहीं कर सकता कि हम लड़ें,

कुश्ती करें, आदमियों को मार डालें, लड़ाई, उपद्रव पैदा कर दें, हजारों आदमियों को मरवा डालें और फिर युद्ध करें। लेकिन हमको सबक सीखना पड़ेगा। मुहम्मद गोरी ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हर बार फिर माफी मांगी, छोड़ दिया। आखिर में एक दफा मुहम्मद गोरी के हाथ पृथ्वीराज चौहान आ गए और उसने उनका सत्यानाश कर दिया। यह जो बातें हैं इस इतिहास को हमें नही भूलना चाहिए। यह बार बार माफ करने की बात क्यों हमारे दिल में उठती है? हमारी वही परम्परा चली आ रही है कि जो उस वक्त में थी। हमारे ऊपर जब कभी 1947 में आक्रमण किया तब हमने छोड़ दिया। 1947 के बाद में फिर हमारे साथ झगड़े किये, तब भी छोड़ दिया। 2000 हमले हमारे ऊपर यह सीज फायर लाइन पर पाकिस्तानियों ने किये और हमने छोड़ दिया। यह पहला ही मौका हमारे पास में आया थोड़ा सा उन आक्रमणकारियों को सिखाने का और हमने इस मौके पर उन्हें कुछ सबक सिखाया भी बाद में जब वह हमारे सामने आये और कहा गया कि भाई अब की दफ़े माफ करो और माफ़ करने पर हम उतारू हो गये। जरूरत इस बात की है कि हमको अपने मन में दृढ़ निश्चयी होना चाहिए और हम इस बात पर भी पहुंच चुके हैं कि यह काश्मीर हमारा है और यह हमारा रहेगा और दुनिया की कोई भी ताकत काश्मीर को हम से जुदा नहीं कर सकेगी। उसका विलय भारत के साथ एक ऐतिहासिक तथ्य है, हम काश्मीर से पृथक नहीं है और काश्मीर हमसे पृथक नहीं है। यह बात हम सभी लोगों को कतई तौर से मंजूर कर लेनी पड़ेगी अगर हम इसको मंजूर नहीं करते हैं तो हमारा जैसा दुर्भागी और देशद्रोही और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। आज यह सरकार क्यों नहीं कर सकती है? क्या कारण है? एक चली आ रही है हमारी परम्परा। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे एक महान नेता हो गये। उनका रूप अभी तक लोगों को भूला नहीं है। उन्होंने एक परम्परा चलाई कि भाई हमने ऐसे कर लिया है, हम यह करेंगे और हम वह करेंगे लेकिन वह तो सारी बातें पलट गई है और खुद जवाहरलाल जी ने कह दिया था कि अब वह बात नहीं है। जिस वक्त मैंने वह वायदा किया था उस वक्त दूसरी शक्ल थी लेकिन आज हमारे सामने दूसरी शक्ल है। आज के बदले हुए हालात के होते हुए हम उन बातों पर नहीं रह सकते है जो हमने की थीं। आखिर पाकिस्तान के आक्रमण के खिलाफ सिक्योरिटी कौंसिल में दावा तो हमने किया हुआ है और यह साधारण रीति है कि जो दावा करने वाला होता है वह अगर चाहे तो अपना दावा वापिस भी ले सकता है। मैं एक वकील होने के नाते इस बात को जानता हूं कि एक आदमी जो अदालत में डिग्री लेने जाता है वह चाहे तो कह सकता है कि मैं डिग्री नहीं लेता, चूल्हे में जाये सुरक्षा परिषद्, मुझे उससे फैसला नहीं कराना, मैं खुद हमलावर से अपने आप निबट लूंगा। अगर कोई मेरे घर में घुसेगा तो मैं उसे मार भगाऊंगा। आखिर इस सुरक्षा परिषद् में हम स्वयं पाकिस्तान के आक्रमण के विरुद्ध शिकायत ले कर गये थे और मैं नहीं समझता कि हमें उसमें से वापस आने और अपना केस वापिस लेने में क्यों कोई रुकावट पैदा हो रही है? कोई सबजुडिस्ड मामला नहीं है वह कभी का खत्म हो गया। ऐसी हालत में आज जो हमें करना है वह यही करना है कि यह दफ़ा 370 भारतीय संविधान में से निकल जाये बाकी तो सब सहूलियत है ही। इसमें 3, 4 और 5 पैराग्राफ लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। पता नहीं, किसी कानून के विशेषज्ञ ने मशविरा दिया होगा शास्त्री जी को जो कि उन्होंने इतनी सारी बातें लिख दीं। मैं तो इतना ही कहता :—

"Omit the provisions of article 370 and say, 'All the provisions of

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

this Constitution shall apply *mutatis mutandis* to the whole of Jammu and Kashmir'."

एक फिकरा लिखने से सब खत्म हो जाता है। मैं समझता हूं कि आज हम ऐसी अवस्था में पहुंच गये हैं कि जब एक दिन की भी रुकावट करना हमारे देश के वास्ते दुर्भाग्य का कारण हो सकता है। यह रुकावट अब ज्यादा कायम नहीं रहने देनी चाहिए और काश्मीर का विलय सम्पूर्ण तरीके से हमारे साथ में कर देना चाहिए।

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta-Central): Mr. Chairman, I had no idea that this Bill was coming up for discussion. When I heard some of the speeches made by my hon. friends in the House on this Bill, I felt I ought to intervene.

I am afraid I cannot agree to the idea that the special provisions in regard to the State of Jammu and Kashmir should be abrogated straightway. We do not live in a vacuum; we do not live in a context of our own choosing alone; we are functioning in certain circumstances. If we want a settlement of certain problems which are hanging fire, we have to act with wisdom and circumspection.

I have heard some Members saying things in an abstract formulation which might be quite acceptable, but which in the conditions of today are quite unrealistic. There is no getting away from the fact that Jammu and Kashmir, which we claim, and very rightly claim, is a part of India, is, at the same time, the subject mater of a dispute which we may wish away; but that is already in the picture as far as world's relations are concerned. At Tashkent what we did was to tell the world that without the intervention of interested busybodies from outside, whether in the United Nations or elsewhere, we shall settle, after discussion, problems outstanding between our two countries. This is a very serious formulation, and nothing should be said or done in this House which goes against the spirit of that formulation.

If I was told that in Jammu and Kashmir there is overwhelming popular feeling for an immediate abrogation of all special constitutional provisions in regard to that State, if I was told that the Sadiq Government which has played such a heroic role along with the people of Kashmir during recent incidents has come before the Union Government suggesting that as a matter which would help solution of the problems that agitate or worry us so much, there should be abrogation of these constitutional provisions, I can understand the situation. If the Government of India gave us a report that in the present context of things it would be in the best interests of all concerned, to I could consider that matter. But if on the ground that since we claim, and rightfully claim that Kashmir as part of India, there should be an immediate abrogation of these constitutional provisions which were adopted with a very special purpose, if that is said abstractly, then it does not help the proceedings at all.

We may wish to do a lot of things in the present day world situation. Some of us might even wish the liberation of Tibet, would like to get into a kind of crusade against all kinds of countries. We hear talk of our suppressing the Nagas, suppressing the Mizo, X. Y or Z here, there and everywhere is our country, but that is neither here nor there, that is not practical politics.

In regard to Kashmir, while we say that our position is clear that the entire State of Jammu and Kashmir belongs to us, at the same time, as people operating in a work-a-day world, we have to recognise that it is a matter under dispute.

Mr. Chairman: Is it a dispute for us?

Shri H. N. Mukerjee: As far as we are concerned, we do not say that the dispute as it is formulated has any

foundation, but the fact remains that the other party continuously and consistently said that there is this dispute,......

Shri Inder J. Malhotra: Why should you worry about the other party.

Shri H. N. Mukerjee: .... and the world outside also considers that to be a dispute. So, whether we like it or not, every time the representatives of India and Pakistan are going to meet in Rawalpindi or in the soil of India, this matter comes up and the world looks upon this matter as a dispute. Whether we like it or not, the world considers this matter to be a dispute. And whether we like it or not, the fact remains that a large area of the territory of Jammu and Kashmir is in the hands of other people, and the fact also remains that we have given an assurance to the world through the Tashkent declaration, and that is also a matter of practical politics, that we do not propose to resort to military methods in order to recover that area of Jammu and Kashmir.

In that context, therefore, there has to be some kind of a settlement. It is no good merely forgetting the facts of the situation. At one point of time, and it Nehru had suggested that along the ceasefire line with some modifications a settlement could be arrived at but because Pakistan was not responsive, they wanted the entire cake, at that point of time a settlement could not be reached. I am not suggesting that a settlement should be reached here and now on that basis, but at any rate a settlement some time or other has got to be arrived at.

Shri Bhagwat Jha Azad: I rise on a point of order. As you know very well under the Constitution the entire State of Jammu and Kashmir is a part of India. Can a Member who has taken an oath to the Constitution to uphold the integrity of the territory of India, preach in this House that this State should be divided at a particular line? Is it in order for the Member to say that?

Mr. Chairman: I have noted the point of order, but we shall take it up on the next day. Now the House stands adjourned.

18 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 21, 1966/Phalguna 30, 1887 (Saka).

GMGIPND—L S II—2864 (ai) L S—9-6-66—970.